इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 740

16 अगस्त, 2012 को उत्तर के लिए

एनएमडीसी को निविदा प्रदान करने में बरती गई अनियमितताएं

740. श्री प्रभात झा:
श्रीमती कुसुम राय:
श्री अरविन्द कुमार सिंह:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) में निविदा प्रदान करने में अनियमितताएं बरतने की सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएमडीसी द्वारा निविदाएं प्रदान करने में कथित अनियमितताएं बरते जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं के विरूद्ध कोई कार्रवाई की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) एनएमडीसी द्वारा निविदाएं प्रदान करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

इस्पात मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)

(क) से (ज): नागरनार में एकीकृत इस्पात संयंत्र हेतु हॉट स्ट्रिप मिल और रोलिंग मिल के लिए थिन स्लैब कास्टर की स्थापना के संबंध में एनएमडीसी द्वारा निविदा प्रदान करने में बरती गई अनियमितताओं के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि किसी प्रकार की अनियमितताएं नहीं हुई थीं। मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), एनएमडीसी और केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के साथ परामर्श करके इन अभ्यावेदनों की आगे जांच की जा रही है।

तथापि, निविदा प्रदान करने में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एनएमडीसी ने सत्यनिष्ठा समझौता तैयार किया है जिसे एनएमडीसी और बोलीदाता द्वारा 10 करोड़ या इससे अधिक मूल्य की अधिप्राप्ति के मामलों और 20 करोड़ से अधिक अनुमान वाले सभी कार्यों के लिए हस्ताक्षरित किया जाना होता है। जिन कार्यों का अनुमान 10 लाख रूपये से अधिक होता है, एनएमडीसी द्वारा उन्हें प्रमुख समाचार-पत्रों, कंपनी की वेबसाइट और केन्द्रीय अधिप्राप्ति पोर्टल में व्यापक प्रचार-प्रसार करके खुली निविदा के आधार पर सौंपा जाता है।

****